



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14413

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-43397 वर्ष 2025

पवन भाटी

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: विनय कुमार सिंह चंदेल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आशीष त्यागी, शासकीय अधिवक्ता, कपिल त्यागी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. श्री मंगला प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंवर विक्रम सूर्यवंशी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री आशीष त्यागी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, श्री अभिषेक मिश्रा, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता की सहायता से सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के मुकदमा अपराध संख्या-288 में धारा 147, 148, 149, 324, 302, 307, 341, 120-बी और 34 भ०द०वि०, थाना-लोनी बॉर्डर, ज़िला: गाजियाबाद के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की कहानी:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बताया जाता है कि सूचनाकर्ता के पिता पर आवेदक (जो जिले से बाहर निकलने का सामना कर रहा था) ने चरण सिंह, विमला, चांचा और कविता के साथ धारदार हथियारों से हमला किया था और पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था।

5. फिर से, 11.05.2024 को रात लगभग 9:00 बजे, जब सूचनाकर्ता अपने पिता के साथ प्रेम नगर कॉलोनी से उनके घर आ रहा था, तो आवेदक ने अन्य नामित अभियुक्तों के साथ उन्हें घेर लिया, जिससे सूचनाकर्ता पर लोहे की रॉड फेंकी गई, जो किसी तरह भाग गया, हालांकि उसमें उसका सिर घायल हो गया, लेकिन आरोपी व्यक्ति सूचनाकर्ता के पिता को पकड़ने में सफल रहे और उस पर धारदार हथियारों से हमला किया, एक पिस्तौल, और एक देसी पिस्तौल, और उसे मौत के घाट उतार दिया।

6. सूचनाकर्ता ने तुरंत एसीपी को फोन किया। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और सूचनाकर्ता और उसके पिता को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया और सूचनाकर्ता की चिकित्सकीय जांच की।

7. इसके बाद सूचनाकर्ता थाना-पहुंचा और 12.05.2024 को 1:34 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई।

आवेदक की ओर से तर्क:

8. प्राथमिकी में चार घंटे से अधिक की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

9. आवेदक का मामला सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बराबर है, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा ज़मानत पर रिहा किया जा गया है, जो इस प्रकार हैं: -

क्रम सं	सी.एम.बी.ए.	आवेदक का नाम	दिनांक के आदेश के माध्यम से	माननीय श्री न्यायमूर्ति	स्थिति
1	37275 वर्ष 2024	सोनू बघेल @Sunil	05.11.2024	अजय भनोट	दी गई
2	41052 वर्ष 2024	गौरव	18.11.2024	अजय भनोट	दी गई



3	43659 वर्ष 2024	पूजा	12.12.2024	अजय भनोट	दी गई
4	46525 वर्ष 2024	अंकुर @ कैली	19.12.2024	अजय भनोट	दी गई
5	954 वर्ष 2025	कुलदीप	21.01.2025	अजय भनोट	दी गई
6	3075 वर्ष 2025	कविता	31.01.2025	अजय भनोट	दी गई
7	7266 वर्ष 2025	गगन	03.03.2025	समीर जैन	दी गई
8	एस.एल.पी.- 7325 वर्ष 2025	विमला	04.07.2025	उच्चतम न्यायालय	दी गई
9	19539 वर्ष 2025	टिंकू @ हेमंत	23.06.2025	डॉ. गौतम चौधरी	दी गई
10	20353 वर्ष 2025	प्रशांत @ मुट्टू	26.06.2025	डॉ. गौतम चौधरी	दी गई
11	22898 वर्ष 2025	चरण सिंह भाटी	24.07.2025	आशुतोष श्रीवास्तव	दी गई
12	3398 वर्ष 2025	राहुल भाटी	06.08.2025	आशुतोष श्रीवास्तव	दी गई
13	42577 वर्ष 2024	राहुल @ राम बाबू	08.08.2025	आशुतोष श्रीवास्तव	दी गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14	3286 वर्ष 2025	विमल	08.10.2025	कृष्ण पहल	दी गई
----	-------------------	------	------------	-----------	-------

10. इस प्रकार, चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है।

11. आवेदक 18.05.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क:

12. आवेदक ने उक्त अपराध करने का मकसद रखा, इस प्रकार, मुख्य आरोपी व्यक्ति है।

13. आवेदक को उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत छह महीने की सश्रम कारावास का सामना करना पड़ रहा था और वह दिल्ली में रह रहा था, लेकिन उसने प्रत्यर्पण के आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि सूचनाकर्ता के पिता और स्वयं सूचनाकर्ता के साथ ये अपराध और दिनांक 05.05.2024 का अपराध किया।

14. आवेदक श्रीमती चंचल की पत्नी की ज़मानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2024 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-27926 में पारित दिनांक 13.8.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। एक अन्य सह-आरोपी रोहित भाटी की ज़मानत याचिका को उसी न्यायालय ने दिनांक 21.11.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

15. आवेदक का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। वह बार-बार अपराधी है, क्योंकि वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

16. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का मकसद था और मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से एक है, इस तथ्य के साथ कि आवेदक का मामला उन सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बराबर नहीं है जिन्हें ज़मानत दी गई है और यह भी ध्यान में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखते हुए कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, मुझे लगता है कि यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

17. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 20, 2026

(रवि कांत)